

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर

विवेक आहुजा बनाम कमलेशकान्ता व अन्य

मुकदमा अन्तर्गत धारा:- 212 आर.टी.ए.

मुकदमा नम्बर:- 92/2025

वकील प्रार्थी :- खुशविन्द्र सिंह भूलर

वकील:- अप्रार्थी:-.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख जारी हुआ
12.06.2025	<p>वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए का पेश किया। सरिस्ता से रिपोर्ट हो चुकी है। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अधिवक्ता प्रार्थी के निवेदन एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए एकपक्षीय सुना जाकर अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण आगामी तारीख पेशी तक प्रार्थना पत्र में वर्णित वादगत आराजी चक 1 ए छोटी के खाता संख्या 9/6 जमाबंदी संवत 2073-2076 के मुरब्बा नम्बर 77 के कि0न0 05/1 के 0.2280 हैक्टर व कि0न0 5/2 में 0.0250 है0 कुल 0.253 है0 अराजी को आगामी तारीख पेशी तक रहन /बैय न करे तथा रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाए रखें। वकील प्रार्थी रजिस्टर्ड ए.डी. से तामील करवाकर 07 दिवस में रसीदें पेश करें। इसके अभाव में अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।</p> <p>नोट:-</p> <ol style="list-style-type: none">उक्त आदेश राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251, 251-(क) के प्रकरणों पर प्रभावी नहीं होगा।सीपीसी आदेश 39 नियम 2 की पालना की जावे। <p>अप्रार्थीगण के नाम से नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 11.07.2025 को पेश हो।</p> <p>11/7/25</p> <p>पत्रावली पेश हुई पीठाधीन अधिकारी अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त हैं पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 07/8/25 को पेश हो</p>	

